

नविवारक नरिध

प्रलिमिस् के लयि:

[सरवोच्च न्यायालय, नविवारक नरिध, अनुच्छेद 22](#), [उच्च न्यायालय के न्यायाधीश](#), [दंडात्मक हरिसत](#), ['सार्वजनिक व्यवस्था'](#), [कानून और व्यवस्था](#), [राम मनोहर लोहिया बनाम बहिर राज्य मामले, 1965](#)

मेन्स के लयि:

नविवारक नरिध और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में इसका महत्त्व ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सरवोच्च न्यायालय](#) ने माना है कि नविवारक नरिध कानूनों के तहत सलाहकार बोर्डों को सरकार के लयि केवल "रबर-स्टाम्पिंग प्राधिकारी" की तरह व्यवहार नहीं करना चाहयि ।

- उन्हें एक ऐसे सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करना चाहयि जो राज्य द्वारा शक्ति के अनयित्तरति उपयोग के साथ ही व्यक्तगित स्वतंत्रता के अधिकार के बीच खड़ा हो ।

नविवारक नरिध क्या है?

■ पृष्ठभूमि:

- नविवारक नरिध को अधिकृत करने वाले कानून वर्ष 1818 से भारत में बरिटिश औपनिवेशिक शासन में अस्तित्व में थे ।
- [प्रथम विश्व युद्ध](#) शुरू होने पर वर्ष 1915 का भारत रक्षा अधिनियम पारति कयिा गया था, और साथ ही [द्वितीय विश्व युद्ध](#) के दौरान बनाए गए आपातकालीन नयिओं के संबंध में भी इसे दोहराया गया था ।
- दोनों में नविवारक नरिध के प्रावधान हैं, यानी किसी व्यक्तिको [वचिरण और दोषसदिधि के बनिा हरिसत में रखना](#) ।

■ परिचय:

- [नविवारक नरिध](#) का अर्थ है किसी व्यक्तिको न्यायालय द्वारा वचिरण एवं दोषसदिधि के बनिा हरिसत में लेना । इसका उद्देश्य किसी व्यक्तिको [पूर्व अपराध के लयि दंडति करना नहीं](#) है बल्कि उसे नकिट भवषिय में अपराध करने से रोकना है ।
- किसी व्यक्तिकी [हरिसत तीन महीने से अधिक नहीं](#) हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड वसितारति हरिसत हेतु पर्याप्त कारण के लयि रिपोर्ट जारी नहीं करता है ।
- [नविवारक नरिध के लयि आधार:](#)
 - राज्य की सुरक्षा
 - लोक व्यवस्था
 - वदिशी मामले, आदि

■ हरिसत के दो प्रकार:

- [नविवारक नरिध](#) तब होता है जब किसी व्यक्तिको केवल इस संदेह के आधार पर [पुलसि हरिसत](#) में रखा जाता है कयिे कोई आपराधिक कार्य कर सकते हैं या समाज को हानि पहुँचा सकते हैं ।
 - पुलसि के पास किसी भी व्यक्तिको पर अपराध करने का संदेह होने पर उसे हरिसत में लेने और कुछ मामलों में वारंट अथवा मजसिट्रेट की अनुमतिके बनिा गरिफ्तारी करने का भी अधिकार है ।
- [दंडात्मक हरिसत](#) जिसका अर्थ है किसी दाण्डिक अपराध के लयि सज़ा के रूप में हरिसत में रखना । यह तब होता है जब कोई अपराध वास्तव में कयिा गया हो, या उस अपराध को करने का प्रयास कयिा गया हो ।

■ सुरक्षा:

- [अनुच्छेद 22](#) गरिफ्तार या हरिसत में लयि गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है ।
 - दो प्रकार के हरिसत - पहला भाग सामान्य [कानूनी मामलों](#) से संबंधति है और दूसरा भाग [नविवारक नरिध के मामलों](#) से संबंधति

है।

- यह अनुच्छेद नविवारक नरिध कानूनों के लयि सलाहकार बोरड के नरिमाण को अनविरय करता है, जसिमें उचच न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लयि योग्य व्यक्ती शामिल होते हैं।
- वभिन्न कानूनों के तहत, समीक्षा बोरडों को **परतयेक तीन माह** में हरिसत के आदेशों का आकलन करना चाहयि, ताकयिह नरिधारति कयिा जा सके कनिविरक नरिध के लयि पर्याप्त कारण हैं या नही। वे साक्ष्यों की जाँच करते हैं, यदआवश्यक हो तो अधिक जानकारी का अनुरोध करते हैं, हरिसत में लयि गए व्यक्ती की बात सुनते हैं और फरि रपिरट करते हैं कहरिसत उचति थी या नही।
- **हरिसत में लयि गए व्यक्ती को उपलब्ध सुरक्षा उपाय:**
 - कसी व्यक्ती को केवल **3 माह** के लयि **नविरक हरिसत** में लयिा जा सकता है।
 - **सलाहकार बोरड** की स्वीकृती के बाद ही हरिसत की अवधिको **3 माह** से अधिक के लयि बढ़ाया जा सकता है।
 - बंदी को अपनी हरिसत के **कारणों को जानने का अधिकार** है।
 - हालाँकि, यदलोकहति में ऐसा करना आवश्यक हो तो राज्य आधार बताने से **इनकार** कर सकता है।
 - बंदी को उसकी हरिसत को **चुनौती** देने का अवसर प्रदान कयिा जाता है।

■ सापेक्ष नविरक कानून:

- लोकसुरक्षा अधनियम (PSA)।
- स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधनियम (NDPS), 1985।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा अधनियम: NCRB** डेटा से पता चला है क राष्ट्रीय सुरक्षा अधनियम (NSA) के तहत हरिसत में लयि गए लोगों की संख्या वर्ष 2020 की तुलना में काफी कम हो गई है।
 - **NSA** के तहत नविरक हरिसत की संख्या वर्ष **2020** में **741** पर पहुँच गई। जबकविवर्ष **2021** में यह संख्या घटकर **483** हो गई।

■ नविरक हरिसत से संबंधति मुद्दे:

- **लोकतंत्र पर प्रश्नचहिन:** वशिव के कसी भी लोकतांत्रिक देश ने नविरक हरिसत को संवधान का अभन्न अंग नही बनाया है जैसा क भारत में कयिा गया है।
- **अतरिकित न्यायकि प्राधकिरण:** सरकारें कभी-कभी ऐसे कानूनों का उपयोग अतरिकित न्यायकि अधिकार का प्रयोग करने के लयि करती हैं, जसिसे नविरक हरिसत को लेकर चतिाएँ बढ़ जाती हैं।
- **अन्य अधनियमों का दुरुपयोग: गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधनियम, 1967** जैसे कई कानून हैं जनिका दुरुपयोग नविरक हरिसत के लयि कयि जाने की संभावना है।
- **सरकारी अधिकारियों द्वारा हेरफेर:** ज़िला मजसिस्ट्रेट तथा पुलिस भी अकसर उभरती सांप्रदायकि झड़पों या कनिही दो समुदायों के बीच हुई झड़पों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लयि संबंधति व्यक्तियों को नयितरति करने के लयि उन्हें नविरक हरिसत में लेते हैं, भले ही इससे हमेशा सार्वजनकि अव्यवस्था न हुई हो।

नविरक नरिध पर सर्वोच्च न्यायालय:

- **अमीना बेगम केस, 2023:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना क नविरक हरिसत **आपातकालीन स्थतियों के लयि एक असाधारण उपाय** है और इसे नयिमति रूप से इस्तेमाल नही कयिा जाना चाहयि।
 - नविरक हरिसत का उद्देश्य सज़ा देना नही है बलक **राज्य की सुरक्षा के लयि हानकिारक कसी भी चीज़ को रोकना** है।
- **अंकुल चंद्र प्रधान केस, 1997:** इस मामले में इस बात पर बल दयिा गया क नविरक हरिसत का उद्देश्य सज़ा देने के बजाय **राज्य की सुरक्षा को नुकसान से बचाना** है।

सार्वजनकि व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था क्या है?

■ परिचय:

- **सार्वजनकि व्यवस्था** का तात्पर्य समाज के भीतर शांति, स्थरिता और सद्भाव बनाए रखना है, यह सुनश्चिति करना क गतिविधियाँ और व्यवहार समुदाय की समग्र कल्याण या सुरक्षा को बाधति न करें।
- सार्वजनकि व्यवस्था भी स्वतंत्र भाषण और अन्य मौलिक अधिकारों को परतबिंधति करने का एक आधार है।

■ सार्वजनकि व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति:

- **सूची I (संघ सूची) की प्रवषिटि 9** के तहत, भारत का संवधान संसद को भारत की रक्षा, वदिशी मामलों या सुरक्षा से जुड़े कारणों के लयि नविरक हरिसत के लयि कानून बनाने की **वशिष शक्ति** प्रदान करता है।
- **सूची III (समवर्ती सूची) की प्रवषिटि 3** के तहत, संसद और राज्य वधिानमंडल दोनों के पास **सार्वजनकि व्यवस्था** के रखरखाव या समुदाय के लयि आवश्यक आपूर्तया सेवाओं के रखरखाव से संबंधति कारणों से ऐसे कानून बनाने की शक्तियाँ हैं।
- संवधान की **सातवीं अनुसूची** की **राज्य सूची (सूची 2)** के अनुसार, सार्वजनकि व्यवस्था के पहलुओं पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है।

■ सार्वजनकि व्यवस्था और कानून एवं व्यवस्था के बीच अंतर:

- सर्वोच्च न्यायालय ने **'सार्वजनकि व्यवस्था'** और **'कानून और व्यवस्था'** के बीच अंतर कयिा।
- **राम मनोहर लोहिया बनाम बहिर राज्य मामले, 1965** में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना क **'कानून और व्यवस्था'** की समस्या केवल कुछ व्यक्तियों को प्रभावति करती है, लेकनि **सार्वजनकि व्यवस्था** के मुद्दे ने समुदाय या जनता को बड़े पैमाने पर या यहाँ तक क देश को

भी प्रभावित किया है।

- 'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के बीच अंतर उनके दायरे की डिग्री एवं सीमा में नहिंति है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों को "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिये हानिकारक किसी भी तरीके से कार्य करने" की अभिव्यक्ति के अंतर्गत लाने के लिये गतिविधियाँ ऐसी प्रकृत की होनी चाहिये कि सामान्य कानून उनसे निपट न सके या समाज को प्रभावित करने वाली विध्वंसक गतिविधियों को रोक न सके।

आगे की राह

- संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCRWC): नवितरक नरिध प्रररधरनों की समीक्षा के बरद वरष 2002 में अपनी रररिर्रट प्ररसुतुत की, जसिमें दो सफिररशिं दी गईः
 - अनुच्छेद 22 के तहत हरिसत की अधकितत अवधछिह महीने होनी चाहयि।
 - सलरहकर बोरुड की संरचना में ँक अधयकष और दो अन्य सदस्य शरमलि होने चाहयि जो उच्च न्यायलय के सेवररत न्यायरधीश हों।
- सर्वोच्च न्यायलय कर दृषुटकिणः जुलरई, 2022 में, तेलंगरनर में ँक चेन-सनैचर के लयि जररी नवितरक नरिध आदेश को रदुद करते हुए, यह देखा गयर किररज्य को दी गई ये शकुतयिों "असरधरण" थीं और चूँकि वे कसिी वयकुत की सुवतंतरतर को प्रररररति करते हैं, इसलयि उनकर उपयोग कम-से-कम कयिर जरनर चाहयि।
 - न्यायलय ने यह भी कहा थर कइन शकुतयिों कर उपयोग सरमरन्य कानून और वयवसुथर की समस्याओं को नयितरति करने के लयि नही कयिर जरनर चाहयि।

Drishti Mains Question

प्रश्न. सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में नवितरक नरिध तथा इसकी प्ररररशीलतर पर चरुचर कीजयि।

वधकि अंतरदृषुटः नवितरक नरिध की वैधतर

<https://www.drishtijudiciary.com/hin>

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/preventive-detention-5>

